



## प्रथम अनुसची (अनुच्छेद 1-4)

इसके अन्तर्गत

- 1- राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र
- 2- संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं

# Governor of India



## द्वितीय अनुसूची

### 'वेतन एवं भत्ते'

- जैसे- राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, न्यायाधीश आदि



## तृतीय अनुसूची

### 'शपथ या प्रतिज्ञान'

- विभिन्न मंत्री, सांसद, न्यायाधीश, एम0एल0ए0 आदि की शपथ का वर्णन
- इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का वर्णन नहीं है।



## चतुर्थ अनुसूची

राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन

➤ इसका सम्बन्ध अनुच्छेद 4 व 80(2) में





## पांचवी अनुसूची

अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में



## छठी अनुसूची

असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में

# SEVENTH SCHEDULE OF INDIAN CONSTITUTION

U N I F O R M

C I V I L C O D E

POLITY NOTES

## सातवी अनुसूची (अनुच्छेद 246)

इसके अन्तर्गत

- संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल सम्बन्ध

1-असमिया (Assamese)	2-बेङ्गालि (Bengali)	3-गुजराती (Gujarathi)	12-ओरिया (Oriya)	13-पंजाबी (Punjabi)	14-संस्कृतम् (Sanskrit)
4-हिंदी (Hindi)	5-कन्नड़ (Kannada)	6-काश्मीर, काश्मिरी (Kashmiri)	15-सिन्धी (Sindhi)	16-तमिळ (Tamil)	17-तेलुगु (Telugu)
7-कोंकणी (Konkani)	8-मलयालम (Malayalam)		18-उर्दू (Urdu)	19-बड़ो (Bodo)	20-साँतल (Santali)
9-मैथिली (Manipuri)	10-मराठी (Marathi)	11-नेपाली (Nepali)	21-मैथिली, मथिली (Maithili)	22-डोगरी (dogri)	



## आठवीं अनुसूची

संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं  
की सूची






THE  
CONSTITUTION OF INDIA

WE, THE PEOPLE OF INDIA



## नौवीं अनुसूची

भूमि सुधारों एवं जमीनी उन्मूलनों के लिए बनाये जाने वाले नियमों, अधिनियमों आदि को न्यायालय की पुनर्विलोकन शक्ति से बाहर रखना।



## दसवीं अनुसूची

दल-बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों को निर्हता से सम्बन्धित उपबन्ध।





**ग्यारहवीं अनुसूची (अनुच्छेद 243)**

**पंचायतों की शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ**



## बारहवीं अनुसूची

नगरपालिकाओं की शक्तियाँ और  
जिम्मेदारियाँ